

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक— / / 2025 ई०।

संख्या-21/सै०क० (स्था०)-08/2025-...../ विभागीय अधिसूचना सं०-4093, दिनांक-20.09.2022 द्वारा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) जिनकी अनुबंध अवधि विभागीय अधिसूचना सं०-6248, दिनांक-05.11.2024 द्वारा दिनांक-30.09.2025 तक विस्तारित की गयी है।

श्री राव द्वारा पत्रांक-541, दिनांक-02.07.2025 के माध्यम से व्यक्तिगत कारणवश दिनांक-03.07.2025 के प्रभाव से जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद से त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

2. निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) के बकाया वसूली के संबंधी में एक स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर विभाग को सूचित किया जायेगा।

3. सम्यक विचारोपरांत कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला का त्याग-पत्र पर दिनांक-03.07.2025 के प्रभाव से स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मनीषा जोसेफ तिग्गा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/सै०क० (स्था०)-08/2025-...../ राँची, दिनांक— / / 2025 ई०।

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/सै०क० (स्था०)-08/2025-3207/ राँची, दिनांक-07/08/2025 ई०।

प्रतिलिपि:— महानिदेशक, पुर्नवास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०), जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/08/2025
सरकार के संयुक्त सचिव।

44